

प्रपत्र II

पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
(पाँवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय,
नई दिल्ली-110016
सूचना

(विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत)

1. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 में है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित है, ने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत पारेषण लाइनों, सब-स्टेशनों और अन्य परिसंपत्तियों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के संबंध में, ट्रांसमिशन लाइसेंस संबंधित एक आवेदन किया है:-

- मौजूदा लाइसेंस का विवरण - 137/TL/2022 साथ ही संशोधन 181/TL/2023
- आ. जोड़े जाने वाले ट्रांसमिशन तत्वों का विवरण:

क्रमांक	पारेषण परिसंपत्तियों का नाम और स्थान	लाइन की लंबाई/क्षमता	पूरा होने का अनुमान लागत	कमीशनिंग शेड्यूल (अनुसूची सीओडी)	टिप्पणियाँ
1.	<ul style="list-style-type: none">• 400/220kV बीकानेर-II PS के 400kV स्तर पर बस अनुभागीयकरण का एक सेट• एक नं। (क) बीकानेर-II पीएस में 400 केवी टाई बे (400/220 केवी आईसीटी-4 से संबद्ध) की कुल संख्या 100 केवी टाई बे	<ul style="list-style-type: none">• 400 केवी बस सेक्शन लाइज़र-1 नग।400 केवी टाई बे-1 नं।	₹ 28 करोड़	कार्यान्वयन 400/220kV आईसीटी (4 वीं से 7 वीं) के साथ यानी, दिसंबर'24	विनियमित टैरिफ तंत्र के तहत कार्यान्वित किया जाना है
2.	राजस्थान में 400/220 केवी बीकानेर-II पीएस पर 400/220 केवी, 1 * 500 एमवीए आईसीटी (9 वें) के साथ-साथ संबद्ध ट्रांसफार्मर बे द्वारा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि	<ul style="list-style-type: none">• 500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी-1• 400 केवी आईसीटी बे-1220 केवी आईसीटी बे-1 नग।	₹ 54.60 करोड़	सीटीयूआईएल द्वारा कार्यालय जाप जारी होने की तिथि से 18 माह अर्थात 18.01.2026।	

2. आयोग के समक्ष दायर पूर्ण आवेदन और अन्य दस्तावेज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। आवेदन का निरीक्षण कंपनी के कार्यालय ईडी (टीबीसीबी), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सौदामिनी, प्लॉट नंबर 2, सेक्टर -29, गुड़गांव 122001 में व श्री के के चौधरी, परियोजना प्रभारी, पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड के साथ भी किया जा सकता है या आयोग के कार्यालय में आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।
3. कोई आपत्ति या सुझाव, यदि हो, तो इसे सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, 6वीं, 7वीं और 8वीं मंजिल, टावर बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029 के समक्ष दायर किया जा सकता है, जिसकी एक प्रति आपत्ति/सुझाव आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट को, इस सूचना के अखबार में प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर भेजी जाए।

परियोजना प्रभारी,
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

जगह:
तारीख: